भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2323

07 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता

2323 # श्री सुभाष बरालाः
श्रीमती रेखा शर्माः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस बात की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां उक्त सहायता प्राप्त करने के बाद भी संचालित रहें;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सहायता प्राप्त इकाइयों के निष्क्रिय होने अथवा अपेक्षित कार्य-निष्पादन स्तर प्राप्त न कर पाने के कौन-कौन से प्रमुख कारण चिह्नित किए गए हैं; और

(घ) उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के अंतर्गत, सब्सिडी बैक-एंडेड होती है और शुरू में ऋणदाता बैंक द्वारा लाभार्थी के मिरर खाते में रखी जाती है। ऋण की अंतिम किस्त जारी होने की तारीख से तीन साल बाद ही सब्सिडी को लाभार्थी के ऋण के एवज़ में समायोजित किया जाता है, बशर्ते उद्यम चालू रहे और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) न बने। इसके अलावा, यह योजना भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), उद्यम, और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण (जहाँ लागू हो) जैसे वैधानिक पंजीकरणों को सुगम बनाकर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे उद्यमों की दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होती है।

(ग) और (घ): मंत्रालय को पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के बाद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के बंद होने का कोई उदाहरण नहीं मिला है। हालाँकि, मंत्रालय कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करने और ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए सभी राज्य सरकारों और ऋणदाता बैंकों, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) स्तर और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी संवेदनशील बनाया जा रहा है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर मंजूरी, पर्याप्त उपलब्धता और संस्थागत वित्त का त्वरित वितरण मिले, जिससे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के निरंतर संचालन और विकास को सहायता मिल सके।
